

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक स्था.2/सी/व्या/77/10 /2170


भोपाल, दिनांक 23/12/10

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक स्था-2/सी/स्थानां./45/2010/1186-87 दिनांक 29.7.2010 के सरल क्रमांक-02 पर अंकित श्री पूरन लाल झारिया व्याख्याता (संस्कृत) के कालम -6 में शास.उ.मा.वि.बरघाट जिला सिवनी के स्थान पर शास.उ.मा.वि.खामी जिला सिवनी पढा जावें ।

2/ पूर्व आदेश में जारी शेष शर्तें यथावत रहेगी ।

प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार



संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 23/12/10

पृष्ठा. क्रमांक स्था.2/सी/व्या/77/10 /2171  
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, /राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल ।
3. कलेक्टर जिला रीवा / सिवनी म.प्र. ।
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला रीवा / सिवनी म.प्र. ।
5. संयुक्त संचालक रीवा / जबलपुर ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा / सिवनी । म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। ।
7. संबंधित संस्था प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।



संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण म.प्र.